न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

(139)

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : एक–निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/620 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 4–1–2018 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 453/16–17 अपील

1– करन सिंह 2– बालू
3– सियाराम 4– पंचम पुत्रगण स्व.तेजसिंह
चारों निवासी ग्राम दावरघाट तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मूला देवी पत्नि रघुवीर सिंह यादव
ग्राम दावरघाट तहसील करैरा
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जितेन्द्र त्यागी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 16-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 453/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–1–2018 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने मान. मुख्य मंत्री हेल्प लायन में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम दावर घाट स्थित भूमि सर्वे कमांक 708 पर आवेदकगण अवैध कब्जा किये है इसलिये कब्जा हटवाया जावे। मान. मुख्य मंत्री हेल्प लायन से तहसील न्यायालय में तदाशय के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नायव तहसीलदार वृत्त दिनारा तहसील करैरा ने प्रकरण कमांक 1 अ–70/14–15 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 3–2–2016 पारित करके अनावेदक का आवेदन अमान्य किया। अनावेदक ने तहसीलदार वृत्त दिनारा के आदेश दि. 3–2–2016 के विरूद्ध अनुविभागीय

अधिकारी, करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्रकरण कमांक 60/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-5-17 से अपील स्वीकार की तथा भूमि सर्वे कमांक 708 के रकबा 0.02 हैक्टर से आवेदकगण का अवैध कब्जा एक माह के भीतर हटाकर अनावेदक को सौंपे जाने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 453/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-1-2018 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक ने झूँठ आवेदन कब्जे वावत् दिया है क्योंकि आवेदकगण की स्वयं की भूमि सर्वे कमांक 709 में कुआ बना है एंव सर्वे कमांक 708 शासकीय आबादी का नंबर है जिस पर आवेदकगण पिछले 60 वर्षो से काविज है तथा खेती करके सब्जी का बगीचा लगाते आ रहे हैं। अनावेदक के पति रघुवीर सिंह ने कभी खेती नहीं की है और न ही उनका कब्जा रहा है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाव एंव साक्ष्य का सही मूल्यांकन करके तहसील न्यायालय से अनावेदक का आवेदन निरस्त हुआ है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने गलत अर्थ निकाल कर स्वीकार करने में भूल की है और जब अपर आयुक्त को मुख्य तथ्य बताये गये, किन्तु अपर आयुक्त ने प्रकरण की वास्तविक स्थिति जाने बिना ही अपील निरस्त करने में भूल की है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेशों को निरस्त करने की मांग रखी।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब तहसीलदार आदेश दिनांक 3-2-16 में स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वादित भूमि पर पूर्व में अनावेदक का कब्जा रहा है और वर्तमान में आवेदकगण जबरन कब्जा किये है इसी आधार पर अनुंविभागीय अधिकारी ने अनावेदक को वादित भूमि का स्वामी माना है जिसके कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को पुष्टिकृत किया है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने आदेश दिनांक 18-5-17 के पद 2 में इस प्रकार अंकित किया है -

तहसीलदार करैरा द्वारा पारित आदेश दि. 3-2-16 का भी सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। इनके आदेश के पृष्ठ 3 पर तहसीलदार करैरा के द्वारा यह निष्कर्षित किया गया है कि पूर्व में सर्वे क. 708 के रकबा 0.02 है. पर आवेदिका का कब्जा था तथा वर्तमान में अनावेदकगणों का कब्जा है, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि को आबादी क्षेत्रान्तर्गत होने से तथा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होने से धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को ग्राह्य नहीं करते हुये आवेदिका के आवेदन को निरस्त कर दिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने आदेश दिनांक 18-5-17 में आगे विवेचना कर बताया है कि राजस्व मण्डल द्वारा रिवीजन नं. 55-चार/67 गनीराम विरुद्ध नन्हा में पारित आदेश दिनांक 31-7-68 में इस प्रकार व्यवस्था दी है -

A person who holds house site lawfully in Abadi of village, holds it as a Bhumiswami, and as such , on dispossession, he can maintain an application under section 250(1) of the code.

इस प्रकार का निष्कर्ष देते हुये अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने आदेश दिनांक 18-5-17 से अनावेदक की अपील स्वीकार की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्षो को उचित पाते हुये अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 4-1-2018 से आवेदकगण की अपील निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 453/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-1-2018 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर